

102

पुनरीक्षण कमांक / 2013  
प्रस्तुत दिनांक / / 2013

### श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश के समक्ष

1- श्रीमती गीताबाई पति स्व श्री जानकीलाल कुलमी  
उम्र-54 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी-135/1, बडा बाजार राउ तहसील व जिला इंदौर

R-1769-PB/2013

श्री अमित चौधरी  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 10.4.13

2- श्रीमती चंदाबाई पिता स्व श्री जानकीलाल कुलमी  
उम्र-24 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी-135/1, बडा बाजार राउ तहसील व जिला इंदौर

को प्रस्तुत  
27/10.04.2013

अधीक्षक

आपकी माया  
इ-राउ से 522/1  
6/11/13  
25/4/13

3- ओमप्रकाश पिता स्व श्री जानकीलाल कुलमी  
उम्र-28 वर्ष, धंधा-खेती,  
निवासी-135/1, बडा बाजार राउ तहसील व जिला इंदौर

4- मायाबाई पिता स्व श्री जानकीलाल कुलमी  
उम्र-वयस्क, धंधा-खेती,  
निवासी-135/1, बडा बाजार राउ तहसील व जिला इंदौर

त  
1.5.13

....अपीलार्थीगण

#### विरुद्ध

अमरीश पिता लक्ष्मीनारायण गुप्ता  
उम्र-वयस्क, धंधा-वयापार  
निवासी-522, खातीवाला टेंक, इंदौर

....रेस्पान्डेन्ट

#### पुनरीक्षण धारा 40 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत

श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला इंदौर पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह चौधरी साहब द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 127/अ-6/2010-11 में पारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 28/03/2013 तथा 27/02/2013 से असंतुष्ट व दुःखित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी निम्न तथा अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

*(Handwritten signature)*



....2



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1769-पीबीआर/2013 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अधिवक्ता श्री हरीश सौलकी उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> A.R.</p> <p> (मनाज गोयल) अध्यक्ष</p>	